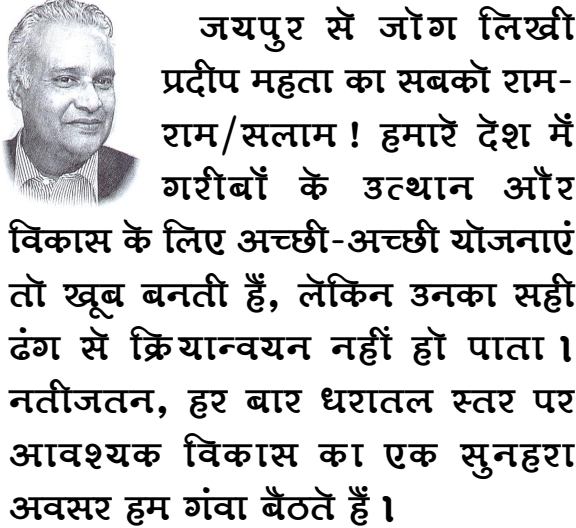


वर्ष 1983 से प्रकाशित

मूल्य 50 पैसे



पूर्व में ऐसा ही एक फैसला भीलवाड़ा जिले की एडीएम कोर्ट ने दिया था। जिसमें दो व्यापारियों पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। साथ ही उन्हें अपनी-अपनी दुकानों के बाहर 2 गुना 3 फीट का बोर्ड लगाने के आदेश दिए गए थे, जिन पर लिखा गया था - मैं मिलावट खोर हूँ। इस फैसले को 'ग्राम गदर' के दिसम्बर, 2012 अंक में प्रकाशित किया गया था, जो एक 'नजीर' बन गया है।

उपभोक्ता

शक्ति

उन्होंने यह राशि उसी समय निगम कार्यालय में जमा करा दी। बावजूद इसके, उनके खेत पर बिजली कनेक्शन नहीं लगाया गया। इस कारण वह खेत में खरीफ और रबी की फसल पैदा नहीं कर सका। निगम कार्यालय के काफी चक्कर लगाने और करीब 14 महीने बीतने के बाद उसके खेत पर बिजली कनेक्शन लगाया गया।

- अपात्र होते हुए भी नाम जोड़ कर ग्राम सहकारी समितियों ने क्लेम लिया।
- फर्जी नामों से क्लेम लिया।
- पात्र किसानों के ऋण माफ नहीं कर उनसे पूरा ऋण वसूला।
- बड़े किसानों को भी छोटे किसानों के रूप में लाभ दिलाया।



नाम बन कर न रहे,
बल्कि यह जीवन
की सच्चाई बने।
उन्होंने कहा
कि पंचायत
का मकसद
प्रशासन का
विकेन्द्रीकरण

प्रदेश में अब पालनहार योजना के तहत विधुपिता के एक से अधिक बच्चों को भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेंशन महाअभियान की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में विधवा, वृद्धावस्था, परित्यक्ता व विशेष योग्यजन पेंशन के लाभार्थियों के जीवित होने का भौतिक सत्यापन करने का दायित्व अब सम्बन्धित पटवारी एवं ग्रामसचिव का होगा।